न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 71/2024
GCMS NO. : 2024/125

–: प्रार्थी :– **बनाम** **–: अप्रार्थीगण :–**

01. नरपतसिंह पुत्र जगदीशसिंह
जाति– राजपूत, निवासी– सेवरिया
तहसील– जैतारण,
जिला– ब्यावर, राज0।

1. डोली बनाम मंदिर श्री जगमोहन नाथजी महाराज वाके जरिये डोलीदार भंवरदास पुत्र नाथूदास जाति– वैष्णव निवासी–सेवरिया तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राजस्थान।
2. तहसीलदार जैतारण, तहसील कार्यालय– जैतारण, जिला– ब्यावर (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 22/03/2024

उपस्थितः– 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. सरकारी पैरोकार, तहसीलदार जैतारण, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 28/08/2024**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान मे स्थित वाके आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 0.0971 हैक्टयर बारानी दोयम आई हुई है। जिसका प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। वर्णित आराजी खसरान भूमि मे आज दिन तक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि के पास ही अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 231रकबा 09712 हैक्टयर की डोली के डोलीदार की आई हुई है। जिसको सीमा विवाद होता रहा है तथा अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि मे अवैधानिक तरीके से कब्जा करने की नियत से अतिक्रमण कर अपनी भूमि मे मिलाना चाहतें है एवं अप्रार्थीगण काफी दिनो से सीमा को लेकर मौके पर विवाद कर रहे है जिस पर कई बार आर आई पटवारी एवं तहसीलदार को सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया और कहा कि सीमा विवाद को लेकर उक्त खसरान् भूमि के नापचौप करावे एवं सीमाज्ञान करवाने बाबत् निवेदन भी किया लेकिन आज दिन तक सीमा ज्ञान नही हो पाया तथा मौके पर विवाद होते है इसलिए उक्त खसरान् भूमि का सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक होने से उक्त खसरान् भूमि आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतू उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। आए दिन इस विवाद एवं सीमाज्ञान के विवाद से बचने के लिए उक्त खसरान भूमि का सीमाज्ञान न्यायहित मे

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

करवाने हेतू एक प्रार्थनापत्र अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण एवं पटवारी हल्का सेवरिया को दिनांक 05/03/2024 को पेश किया लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार से कोई सीमाज्ञान नही होने से मजबूरन उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। उक्त खसरान् भूमि सरहद मौजा सेवरियां पटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान मे स्थित होने से उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरियापटवार हल्का सेवरिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान मे स्थित वाके आराजी खसरा नम्बर 232 रकबा 0.0971 हैक्टयर बारानी दोयम की भूमि का मौके पर सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगड्डी की जाये जाने का आदेश फरमावे तथा अप्रार्थीगण नापचौप करने मे वाद विवाद करे तो जरिये पुलिस इमदाद के नापचौप करवाया जावे तथा प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई आदेश प्रार्थी प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन वास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र तलब किया। अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो सामिल मिसल है। अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनपत्र में कथन किया है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम सेवरिया सम्वत् 2077 के खाता संख्या 648 में खसरा नम्बर 232 नरपतसिंह पुत्र जगदीशसिंह कौम राजपूत सा. सेवरिया की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

हमनें अधिवक्ता प्रार्थी व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी और उस पर मनन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

01. राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि बनाम प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास जिला ब्यावर में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 0.0971 हैक्टेयर आई हुई है। जिसमें प्रार्थी बतौर अभिलिखित खातेदार दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त आराजी के सीमाज्ञान के आदेश इस्तदुआ की है।

02. प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी में खातेदार एवं कब्जा काश्तकार है तथा भू अभिलेख में अलग से तरमीम है जिसकी सीमा अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 231 रकबा 0.9712 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम से लगती है। उक्त खसरान् की सीमाओं को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक के मध्य विवाद की स्थिति विद्यमान है। इसलिए प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान का न्यायालय हाजा से नापचौप कर सीमाज्ञान करने का निवेदन किया।

03. अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि जवाब प्रार्थनपत्र में कथन किया है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम सेवरिया

(श्याम सुंदर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सम्वत् 2077 के खाता संख्या 648 में खसरा नम्बर 232 नरपतसिंह पुत्र जगदीशसिंह कौम राजपूत सा. सेवरिया की खातेदारी भूमि है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि सरहद मौजा सेवरिया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में प्रार्थी बतौर काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा उक्त खसरान् से लगते ही अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 231 रकबा 0.9712 हैक्टेयर आई हुई है। जिससे उभयपक्षकारान के कब्जे काश्त की आराजी की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। खातेदारों के मध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही-सही ज्ञान हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा-विवादों का निस्तारण धारा- 111 में विहित प्रक्रिया से किया जावे। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 128 स्वीकार करना विधिसंगत एवं उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि सरहद मौजा सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण में स्थित प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 0.0971 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा उक्त खसरा से लगते ही अन्य खसरा नम्बर 231 रकबा 0.9712 हैक्टेयर के खातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें। प्रार्थी के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 28/08/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)